

S.05.24

पत्रावली पेक्षा हुई वकील फुरीकेन उप० वकील सापलान ने
प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के नोट प्रेस किया। अतः
प्रा० पत्र सापलान नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।
दिनांक 18.08.21 के जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मिरान्त की
जाती है। पत्रावली प्रेसल शुभा (डोड) नमक से कल डोड
मूल धरने के सलंगन हो। भाइरा पुनमा गया।

उप खण्ड अधिकारी
मण्डरायल

NOT PRESS
~~Signature~~
15/7/24